

न्यायालय उपखंड अधिकारी
 पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा)

29.5.18 पचावली आज दिनांक 29.5.18 को शुभम लाडु वरुण रामरुन लोक अदालत हीरिचरुं प्रस्तुत हुई। पचावली का मेरिट के आधार पर अनुलोमन किया गया। अल रामरुन वरुण हाथपात्मक काका अचल संपत्ति के स्वतंत्र विधारण होने के समय लगाना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में धर्षी का धर्षणा पत्र 08.10.2012 के लेखित लेख धर्षी द्वारा अन्तरीय अस्पष्ट निवेद्याता पारित किए जाने की मांग की गई है।

उपम 2022 का सुनिश्चिा सेवुलन एवं अपूरणीय धति धर्षी के पक्ष में प्रतीत होने के धर्षी का धर्षणा पत्र अथक धर्षी का निरुह निपधीगण स्मीकार किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। इस आदेश से दोनों पक्ष काहयकारी होंगे। एवमह आदेश अलवाद के निम्तारगतक प्रभाव में रहेगा।

: आदेश :

माँजा लाडु वरुण वरुण करेड़ा स्थित 2065-68 मिता 10 कुलरुका 18.07 की धा अमि की रेमाई की यपारिपति कुनाये ररुके जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं।

पचावली धर्षी र सिस्टर के मुझे होकर प्रेसला सुधार हो। एके अलवाद के साध सेलान रहे।

निधि आज दिनांक 29.5.18 के ररुके अलवारुण सुनाया ग।

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा